न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कठूमर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/193/2012

वउनवान

1. केदारनाथ पुत्र पूरनमल जाति महाजन
2. महेशचन्द पुत्र पूरनमल जाति महाजन
3. रमेशचन्द पुत्र पूरनमल जाति महाजन

निवासीयान ग्राम कठूमर तहसील कठूमर

——— वादीगण

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र छोटेलाल जाति कोली निवासी कठूमर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर

——— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट : वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 01.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 722 रकवा 0.09 हे.वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी में से प्रतिवादी संख्या1 ने 1000 वर्ग गज भूमि आवासीय एंव वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण श्रीमान जिलाधीश महोदय अलवर द्वारा कराई थी। जिस भूमि रूपान्तरण का विधिवत इन्तकाल संख्या 712 वाके ग्राम कठूमर के आधार पर विवादित आराजी वावत नकद जरे वय लेकर रजिस्टर्ड वयनामा के शिवचरण गुप्ता पुत्र भोरेलाल अग्रवाल निवासी कठूमर के हक में वेचानकर दिया था तथा जिस वयनामा का इन्तकाल शिवचरण के हक में विधिवत दर्ज व तस्दीक हो जाने के कारण शिवचरण ने उक्त विवादित आराजी को वादीगण को जरिये वयनामा दिनांक 17.02.1990 को वेचान कर दिया था। वक्त खरीद से ही वादीगण विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार के काविज रहकर अपनी सुविधानुसार उपयोग एंव उपभोग करते चले आ रहे है तथा मौके

पर काविज है। वयनामा के आधार पर वादीगण के नाम विधिवत रूप से इन्तकाल संख्या 892 वाके ग्राम कठूमर दर्ज वो पंजीवद्व होकर वादीगण की खातेदारी दर्ज हो गई। वादीगण का नाम जमाबन्दी संवत् 2054 तक सही दर्ज रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने विवादित आराजी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या1 के नाम दर्ज कर दी। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है जिस कारण वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा ना होकर वादीगण का कब्जा है। वादीगण ने विवादित आराजी वावत गलत इन्द्राज को सही कराने वावत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण से साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादी सं0 1 वादीगण के ाांति पूर्वक उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा कर रहा है तथा हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 722 रकवा 0.09 हे. गै0मु0 आबादी वाके कठूमर वावत प्रतिवादी सं01 के नाम को कलमजन कर वादीगण के नाम दर्ज करने व प्रतिवादी को पाबन्द करने व वाद वादीगण मुताविक अनुतो ा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव ईकवाल पेश कर वाद वादीगण के तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है व दावा वादीगण मुताविक अनुतो ा डिक्री किये जाने की सहमति दी है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2066 से 2068, नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057, जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 वाके ग्राम कठूमर की सत्य प्रतिलिपी व छाया प्रति वयनामा दिनांक 17.02.1990 की पेश की है।

वादीगण ने अपनी ओर से गवाह स्वंय वादी केदार पी डब्ल्यू 1 व गवाह तेजपाल पी डब्ल्यू 2 के वयान लेखवद्व कराये है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षिय वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी के इकवाल जवाव का अवलोकन किया। विद्वान अधिवकता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या1ने आवासीय व वाणिज्यक कनवर्ट कराई जिसका इन्तकाल संख्या 712 दर्ज व तस्दीक हुआ इसके वाद प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी को शिवचरण गुप्ता को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर दिया। इसके वाद विवादित आराजी को वादीगण ने शिवचरण गुप्ता से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर ली जिस रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर वादीगण के नाम इन्तकाल संख्या 892 दर्ज व तस्दीक हो गया। विवादित आराजी वावत संवत् 2054 तक

वादीगण का नाम खातेदार काश्तकार की हैसियत से चलता रहा लेकिन इसके वाद राजस्व कर्मचारियान ने वादीगण के नाम के साथ प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया। जो गलत है व गैरकानूनी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा के तथ्यों का स्वीकार कर इकवाल जवाव पेश किया है। अतः दावा वादीगण डिक्री कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड पत्रादि प्रतिवादी के ईकवाल जवाव व गवाह वादीगण का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 722 वादीगण केदारनाथ, महेशचन्द रमेशचन्द पि0 पूरनमल अग्रवाल गंगासहाय पुत्र छोटेलाल जाति कोली सा0 देह खातेदार 7 विस्वा या 1000 वर्ग गज जिसमें 100 वर्ग गज वाणि0 900 वर्ग गज आवासीय दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2055 से 2057 में खसरा नम्बर 722 मिन रकवा 7 विस्वा वाके ग्राम कठूमर वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में विवादित आराजी 722 मिन रकवा 7 विस्वा वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इन्तकाल संख्या 892 विवादित आराजी शिवचरण गुप्ता द्वारा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी का दर्ज हुआ है। छाया प्रति वयनामा दिनाक 17.02.1990 के द्वारा खसरा नम्बर 722 में से 999 वर्ग गज जमीन वादीगण ने शिवचरण गुप्ता से खरीद की है। इससे सावित है कि विवादित आराजी वादीगण की शिवचरण गुप्ता से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीदशुदा है जिसका इन्तकाल विधिनुसार इन्तकाल संख्या 892 खातेदारी का वादीगण के नाम दर्ज व तस्दीक हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 व संवत् 2054 से 2057 वाके ग्राम कठूमर में वादीगण की खातेदारी दर्ज है लेकिन जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 के अवलोकन से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व कर्मचारियान द्वारा वादीगण के साथ पुनः खातेदार के कॉलम में जोड दिया गया है जो गलत व गैरकानूनी प्रतीत होता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाव ईकवाल पेश कर वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया व वाद वादीगण मुताविक अनुतो ा डिक्री करने का निवेदन किया जो वादीगण का स्वीकारोक्ति कथन है। गवाह वादीगण विवादित आराजी पर वादीगण का कबजा कथन करते है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी के ईकवाल जवाव गवान के वयानों के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन करने पर वाद वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 722 रकवा 0.09 हे. वाके ग्राम कठूमर गे0मु0 आबादी से प्रतिवादी सं01 का नाम कलमजन कर वादीगण को

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 01.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/193/2012

वउनवान

1. केदारनाथ पुत्र पूरनमल जाति महाजन
2. महेशचन्द पुत्र पूरनमल जाति महाजन
3. रमेशचन्द पुत्र पूरनमल जाति महाजन

निवासीयान ग्राम कठूमर तहसील कठूमर

——— डिक्रीदारान

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र छोटेलाल जाति कोली निवासी कठूमर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर

——— मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 722 रकवा 0.09 हे. वाके ग्राम कठूमर गे0मु0 आबादी से प्रतिवादी सं01 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 01.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर